दिनांक उप.

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

(113)

पुनरीक्षण /2017

प्रस्तुति दिनांक 31-7-17

माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

PBR/निगरानी/इन्दौर/भू-रा/2017/2911

निर्भय सिंह पिता जयराम भीलाला,
निवासी– ग्राम कदवाली बुजूर्ग तहसील,
सांवेर जिला, इन्दौर (म.प्र.) ...प्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री प्रमोद कुमार शर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 31-07-2017
को प्रस्तुत।
526
31-07-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,
   इन्दौर जिला, इन्दौर (म.प्र.)
2. डॉ श्रीमती आशा पति अनिल बक्शी
   निवासी–ई–30, सांकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.) ...प्रतिप्रार्थीगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत सादर प्रस्तुत है:–

प्रार्थी की ओर से सादर निवेदन है कि :–

1. यह कि, प्रार्थी की ओर से ग्राम कदवाली बुजूर्ग तहसील सांवेर जिला इन्दौर की सर्वे क्रमांक 78/2 रकबा 0.553 हेक्टर प्रार्थी के नाम पर दर्ज है मेरी भूमि कम उपजाऊ को विक्रय कर स्थाई रुप से ग्राम निवान्या तहसील जिला देवास में निवासरत होकर कृषि कार्य स्थाई रुप से करना चाहता है, मैंने प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 (डॉ श्रीमती आशा बक्शी) से 15,1000/– प्रति बीघा में विक्रय करने का अनुबन्ध कर लिया है एवमं 15,1000/– (अक्षरी रुपये पन्द्रह लाख एक हजार मात्र) बयाना प्राप्त कर लिया है अनुमति के लिये आवेदन किया जो माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा दिनांक 25/05/2017 को निरस्त कर दिया है जिससे असन्तुष्ट व पिड़ित होकर पुनरीक्षण आवेदन निम्न आधार पर सादर प्रस्तुत है :–

23-8-17

22-8-17

:: आधार ::

1. यह कि,माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2. यह कि, प्रार्थी ग्राम निवान्या तहसील जिला देवास कृषि भूमि खरीद रहा एवं

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2017/2911**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार दुबे उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को आयुक्त न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।** (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	